

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक  
कलक्टर, सिणधरी

क्रमांक:- ग्रा. से.शि/2025/301

प्रकरण सं.:- 261/2025  
दिनांक:- 14.10.25

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सोपा भाटी व भू.अ.  
नि. 215 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर  
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम साजन की दाबी  
तहसील सिणधरी व जिला बालोतरा की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 में खाता संख्या 46  
में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल  
दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	<u>साजन की दाबी</u>	<u>46</u>	<u>4</u>	<u>काना राव</u> <u>3-3</u> <u>शंकर</u>	<u>काना राव</u> <u>3-3</u> <u>शंकरपाल</u>

क्रमांक:- सम./2025/302-304  
प्रतिलिपि:-

- तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावें।
- प्राथी काना राव शंकरपाल तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
- रक्षित पत्रावली।

समदरसिंह भाटी  
(समदरसिंह भाटी)  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर सिणधरी  
दिनांक:- 14.10.25

समदरसिंह भाटी  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर सिणधरी

